न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक टिब्बी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 046/2022

मोहनलाल पुत्र मन्शाराम जाति नाई निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

-- प्रार्थी

बनाम

1. विधा देवी पत्नी मन्शाराम जाति नाई निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) एवं उपपंजीयक तलवाडाझील।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री रायसिंह भाखर अधिवक्ता — अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 09.05.2024

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर अप्रार्थीया के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 परस्पर पुत्र व माता हैं।

चक नम्बर 5 बी.आर.एन. जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 59/56 के मुश्तरका खाता में दर्ज कुल आराजी 3.3660 हैक्टर में अप्रार्थीया संख्या 1 का 1/7 हिस्सा व चक नम्बर 3 बी.आर.एन. जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 24/30 के मुश्तरका खाता में दर्ज कुल आराजी 4.0480 हैक्टर में अप्रार्थीया संख्या 1 का 4/7 हिस्सा मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

अप्रार्थीया विधा देवी प्रार्थी की माता है जिस के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी को बाहमी विभाजन में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी बतौर मालिक खातेदार काबिज होकर अर्सा दराज से काश्त कर रहा है उक्त आराजी प्रार्थी के धारणा व आधिपत्य में है जिसे वह अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवानें का कानूनी हकदार व दावेदार है लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रार्थी की माता विधा देवी के नाम से दर्ज है उक्त विवादीत आराजी का पक्षकारान के मध्य विधि अनुसार अच्छी गंदी के हिसाब से विभाजन नही हुआ है प्रार्थी ही उक्त आराजी की रकमराज आबियाना आदि जमां खजानाराज करवाता है इस प्रकार विवादीत आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज - रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रार्थी यह घोषणात्मक डिक्री पाने का हकदार है। वह ... पुत्र की चरण स0 2 में विधा देवी पत्नी मन्शाराम के ... हकदार काश्तकार है। प्रार्थी की माता विधा देवी काफी वृद्ध औरत है जिसके ... अपना व परिवार का भला बूरा या हित व अहित समझने में असमर्थ है तथा ... की हालत कमजोर होने के कारण वह लोगों के बहकावे में आ गई है विवादीत आराजी को बिना कीसी जायज आवश्यक्ता व बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये रहन, बैय करने पर आमादा है ऐसी प्रार्थी को पूरी पूरी आशंका है। अप्रार्थीया परिवार के अन्य लोगों के अत्यधिक दबाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है तथा अप्रार्थीया की वृद्धावस्था का बेजा फायदा उठाकर प्रार्थी को उसके हक व अधिकारों से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि का खुर्द बुर्द करने पर उतारू है और उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित, रहन बेय करने के प्रयासरत है यदि अप्रार्थीया ने अपनी नासमझी के कारण उक्त आराजी रहन बेय कर दी तो प्रार्थी को व उसके परिवार को अपरमेय क्षति होगी। उक्त आराजी का अभी तक अच्छी मन्दी के हिसाब से विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थी का अप्रार्थीया से रकमराज आबियाना आदि को लेकर तकाजा रहता है अत प्रार्थी अपनी आराजी अच्छी में अच्छी व मन्दी में से मन्दी के अनुसार खाता अप्रार्थीया से अलग तकसीम कर रकमराज अलग कायम करवाने का दावेदार है।

अप्रार्थीया संख्या 1 काफी समय से प्रार्थी से नाराज है व उसे नुकसान पंहुचाने पर आमादा है। अप्रार्थीया संख्या 1 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि वह उक्त आराजी को दिगर व्यक्तियों को बेय फरोख्त कर देगी इस आराजी के अलावा उसके भरण पोषण का अन्य कोई साधन नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस गलत कार्य में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति घोर मानसिक वेदना व क्षति होगी व उसको भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। यह की प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैर सायलान इस आशय की जारी की जावे की गैरसायलान आराजी जिसका विवरण प्रा० पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज है को रहन, बेय या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने से व सायल को कब्जा से बेदखल करने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि चक नम्बर 5 बी.आर.एन. खाता संख्या 59/ व चक नम्बर 3 बी.आर.एन. खाता संख्या 24/30 में अप्रार्थीया किसी प्रकार रहन बेय व मुन्तकिल से निषेध रहे एवम् आराजी कृषि भूमि में आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीया को जरिऐ रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये अप्रार्थीया की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन केवल मात्र वाद पत्र/प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है लेकिन मुझ अप्रार्थीया की आराजी खरीदशुदा होने के कारण सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नहीं है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज आराजी विवरण सही है, मुझ अप्रार्थीया द्वारा चक 3 बी.आरएन जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 खाता संख्या 24/30 में मुस्तरका खाता मे दर्ज आराजी 4.048 हैक्टर मुझ अप्रार्थीया द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई है जिसकी जमाबन्दी चक नम्बर 3 बी.आर.एन. [illegible] संवत 2043 खाता संख्या 24/30 पेश है।

प्रार्थना पत्र की [illegible] के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अंकित [illegible] आराजी प्रार्थी को बाहमी विभाजन में कभी प्राप्त नहीं हुई ना ही विवादेवी के [illegible] की आराजी पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। विवादेवी के हक व हिस्सा की आराजी मुझ अप्रार्थीया के धारण व आधिपत्य में है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया की आराजी का कानूनी अधिकारी व दावेदार नहीं है। विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य अच्छी मन्दी के हिसाब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विभाजन नही हुआ है। रकम राज आबियाना अप्रार्थीया खुद जमा करवाती है। प्रार्थी घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मुझ अप्रार्थीया को चक 5 बी.आर. एन. के खाता संख्या 59/56 संवत 2075 ता 78 मे 17 हिस्सा मुताबिक हक व हिस्सा मुझ अप्रार्थीया के पति मन्शाराम की मृत्यू के बाद जरिये वारिस प्राप्त हुई है जिस कारण प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया से आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

चक नम्बर 3 बी.आर.एन. खाता संख्या 24/30 संवत 2075 ता 78 में दर्ज आराजी 4.048 हैक्टर मे मुझ अप्रार्थया की 1/2 हिस्सा आराजी जरिये बैयनामा खरीद की हुई है जिसकी अप्रार्थीया अकेली मालिक है जो स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण प्रार्थी कानूनन कोई हिस्सा मांगने का हकदार व अधिकारी नही है तथा इसी चक की शेष आराजी मुझ अप्रार्थीया को पति मन्शाराम की मृत्यू के पश्चात मुताबिक वारिस 1/7 हिस्सा प्राप्त हुई है जिसमे भी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य कि मुझ अप्रार्थीया वृद्व होने के कारण अपना व परिवार का भला बुरा व हित, अहित समझने में असमर्थ है, कतई गलत है। अप्रार्थीया की दिमागी हालत बिल्कुल सही है। यह कहना भी गलत है कि मैं अप्रार्थीया अत्याधिक दवाब में हूं शेष कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है।

मुझ अप्रार्थीया की स्वय अर्जित आराजी व मुताबिक वारिस प्राप्त आराजी हैं जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष आने पर दिनांक 24.04.2024 को बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया विधा देवी प्रार्थी की माता है जिस के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी को बाहमी विभाजन में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी बतौर मालिक खातेदार काबिज होकर अर्सा दराज से काश्त कर रहा है उक्त आराजी प्रार्थी के धारणा व आधिपत्य में है जिसे वह अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कानूनी हकदार व दावेदार है लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे अभी तक प्रार्थी की माता विधा देवी के नाम से दर्ज है उक्त विवादीत आराजी का पक्षकारान के मध्य विधि अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन नही हुआ है प्रार्थी ही उक्त आराजी की रकमराज आबियाना आदि जमां खजानाराज करवाता है इस प्रकार विवादीत आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज – रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। अत प्रार्थी यह घोषणात्मक डिकी पाने का दावेदार है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में विद्या देवी पत्नी मन्शाराम के नाम दर्ज हिसा की भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की माता विद्या देवी काफी वृद्ध औरत है जिसके कारण ह अपना व परिवार का भ[illegible] असमर्थ है तथा दिमागी हालत कमजोर होने के कारण वह लोगों [illegible] आ गई है विवादीत आराजी को बिना कीसी जायज [illegible] किये रहन, बैय करने पर आमादा है ऐसी [illegible] अप्रार्थीया संख्या 1 परिवार के अन्य लोगों के अत्यधिक दबाव में है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 की वृद्धावस्था का बेजा फायदा उठाकर प्रार्थी को उसके हक व [illegible]कारों से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादीत कृषि भूमि का खुर्द बुर्द करने पर उतारू है और उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित, रहन बैय करने के प्रयासरत है यदि अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी नासमझ के कारण उक्त आराजी रहन बैय कर दी तो प्रार्थी को व उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

परिवार को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के नाम से विवादित आराजी पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थीया को चक नम्बर 5 बी.आर.एम. के खाता संख्या 69/56 संवत 2075 ता 78 में 17 हिस्सा मुताबिक हक व हिस्सा मुझ अप्रार्थीया के पति मन्शाराम की मृत्यु के बाद जरिये वारिस प्राप्त हुई है जिस कारण प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया से आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

चक नम्बर 3 बी.आर.एन. खाता संख्या 24/30 संवत 2075 ता 78 में दर्ज आराजी 4.048 हैक्टर में मुझ अप्रार्थया की 1/2 हिस्सा आराजी जरिये बैयनामा खरीद की हुई है जिसकी अप्रार्थीया अकेली मालिक है जो स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण प्रार्थी कानूनन कोई हिस्सा मांगने का हकदार व अधिकारी नहीं है तथा इसी चक की शेष आराजी मुझ अप्रार्थीया को पति मन्शाराम की मृत्यू के पश्चात मुताबिक वारिस 1/7 हिस्सा प्राप्त हुई है जिसमे भी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य कि मुझ अप्रार्थीया वृद्व होने के कारण अपना व परिवार का भला बुरा व हित, अहित समझने में असमर्थ है, कतई गलत है। अप्रार्थीया की दिमागी हालत बिल्कुल सही है। यह कहना भी गलत है कि मैं अप्रार्थीया अत्याधिक दवाब में हूँ, शेष कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है।
अतः विवादित आराजी का अप्रार्थी खातेदार है, जिस पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार है, एवं अप्रार्थीया की चक नम्बर 3 बी.आर.एन. में वर्णित भूमि स्वयं द्वारा पंजीकृत बैयनामा से खरीद होने के कारण स्व अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है तथा चक नम्बर 5 बी. आर.एन. में वर्णित भूमि अप्रार्थीया के पति की मृत्यु के उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। जो प्रार्थी को भी अपना हिस्सा विरासतन प्राप्त हो चुका है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

इस कारण अप्रार्थी की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा मूल वाद में तय होना है, जिसके लिये मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवम् विभाजन हेतु वाद विचाराधीन है। परन्तु अप्रार्थीया की आंशिक भूमि स्वअर्जित एवं आंशिक भूमि पति से प्राप्त होने के कारण अपनी स्वयं की भूमि के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रार्थिया स्वतंत्र है तथा प्रार्थी का हक व हिस्से का निर्धारण मूल वाद में ही होना है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत न होने व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया के पक्ष में होने कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थी 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः दिनांक 25.05.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रार्थी प्रार्थना–पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद संख्या 271/2022 बउनवान मोहनलाल [illegible] में सुनाया

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:36 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी